लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2394
दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का विकास

2394. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं/ पहलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में, राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में शुरू की गई इन योजनाओं/परियोजनाओं/पहलों के अंतर्गत लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को लक्षित करने की कोई योजना है/कार्यान्वित करने की योजना है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यन्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम;
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे, सहायक उपकरण और टूलकिट की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र हथकरघा एजेंसियों को विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए निधियां जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**जारी/उपयोग की गई निधियां**
2019-20	422.09
2020-21	392.98
2021-22	651.86
2022-23	428.60
2023-24	465.85

(ग) और (घ): महिलाएं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकर/कारीगर हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय उन्हें अपने व्यवसाय में बने रहने और उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों/कारीगरों को प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत, उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिला/एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के बुनकर/कारीगर शामिल हैं।
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्कशेड के निर्माण के लिए बीपीएल/एससी/एसटी/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग बुनकरों को 100% सब्सिडी दी जाती है।
- वर्ष 2016 से कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार विशेष रूप से महिला बुनकरों के लिए शुरू किया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों/कारीगरों सहित लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों/कारीगरों सहित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित बुनकर	लाभान्वित कारीगर
1.	आंध्र प्रदेश	93,005	17,492
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,643	2,670
3.	असम	49,051	21,115
4.	बिहार	6,065	12,841
5.	छत्तीसगढ	6,939	4,805
6.	दिल्ली	172	12,436
7.	गोवा	26	2,100
8.	गुजरात	2,992	28,687
9.	हरियाणा	3,418	8,045
10.	हिमाचल प्रदेश	2,454	15,150
11.	जम्मू और कश्मीर	4,868	
12.	झारखंड	5,758	9,604
13.	कर्नाटक	25,405	12,301
14.	केरल	17,356	10,587
15.	मध्य प्रदेश	4,426	41,547
16.	महाराष्ट्र	4,246	18,249
17.	मणिपुर	22,043	14,463
18.	मेघालय	454	4,351
19.	मिजोरम	2,590	2,390
20.	नागालैंड	892	5,150
21.	ओडिशा	36,806	14,970
22.	पंजाब	568	10,660
23.	राजस्थान	1,273	35,087
24.	सिक्किम	81	2,870
25.	तमिलनाडु	1,34,654	12,101
26.	तेलंगाना	44,931	8,872
27.	त्रिपुरा	1,617	14,930
28.	उत्तर प्रदेश	1,22,755	1,00,002
29.	उत्तराखंड	5,281	7,990
30.	पश्चिम बंगाल	57,514	13,598
31.	अखिल भारतीय (गैर-राज्य विशेष)	1,060	4,683
	कुल	**6,60,343**	**4,69,746**

नोट: हथकरघा बुनकरों की 71% आबादी और कारीगरों की 64% आबादी महिलाओं की है, इसलिए अधिकतम लाभ महिला बुनकरों/कारीगरों को दिया जा रहा है।

*****